भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *304

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है।

.....

बिहार में बाढ़ के कारण मृदा अपरदन

***304. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बिहार राज्य में महानंदा, गंगा और कोसी जैसी प्रमुख नदियों में बड़े पैमाने पर आई बाढ़ के कारण होने वाले मृदा अपरदन को रोकने के लिए कोई योजना बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी, अमदाबाद, बुराड़ी, जुरसेला, कदवा, आजमनगर, प्राणपुर प्रखंडों के गांवों में रहने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा महानंदा, गंगा और कोसी नदियों में बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर मृदा अपरदन से बुरी तरह प्रभावित होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई स्थायी समाधान प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"बिहार में बाढ़ के कारण मृदा अपरदन" के संबंध में दिनांक 10.08.2023 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *304 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): नदी में कटाव, गति और तलछट का जमाव नदी के प्राकृतिक विनियमन कार्य हैं। नदियाँ गतिमान गाद भार और जमा गाद भार के बीच संतुलन बनाए रखती हैं, जिससे नदी की व्यवस्था बनी रहती है। तीव्र बाढ़ के कारण होने वाला मृदा अपरदन चिंता का विषय है क्योंकि इससे नदी के मार्ग में परिवर्तन, भूमि हानि आदि जैसी कई संबंधित समस्याएं होती हैं। कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन का कार्य राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी स्कीमें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। भारत सरकार प्रभावी बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है।

ब्रह्मपुत्र, गंगा, शारदा, राप्ती, सुबनसारी, कृष्णा, तुंगभद्रा, महानदी, महानंदा आदि प्रमुख नदियों के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करते हुए रूपात्मक अध्ययन किए गए हैं। ये अध्ययन नदियों की प्रकृति को व्यापक रूप से समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बेस वर्ष के सापेक्ष में विभिन्न क्षेत्रों में दशकीय तट-रेखा गति, कटाव और जमाव, रीच-वाइस रूपात्मक सूचकांकों की व्युत्पत्ति और महत्वपूर्ण रीच की पहचान का आकलन प्रदान करते हैं। इन अध्ययनों को संबंधित राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों आदि के साथ समुचित निर्णय लेने और भविष्य की योजना बनाने के लिए साझा किया गया है।

बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्र कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए XIवीं और XIIवीं योजनाओं के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) कार्यान्वित किया था। उपर्युक्त एफएमपी वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और सीमित परिव्यय के साथ इसे सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया। बिहार में, एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के तहत पूरी की गई 42 परियोजनाओं से लगभग 28.67 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की गई है और 2.2 करोड़ से अधिक की आबादी को संरक्षित किया गया है।

(ग) और (घ): बिहार राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार महानदा नदी के किनारे कटिहार जिले के अमदाबाद, कदवा, आजमनगर और प्राणपुर ब्लॉक तथा गंगा नदी के किनारे कटिहार जिले में मनिहारी, बुराड़ी और कुरसेला ब्लॉक के गांव बाढ़ के कारण होने वाले मृदा अपरदन से प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि वर्ष 2020 से 2022 की तीन वर्ष की अवधि में कटिहार जिले में वर्ष 2021 में बाढ़ के कारण 368 गांव और 7.30 लाख लोग प्रभावित हुए थे और वर्ष 2022 में इसी जिले में 115 गांव और 57,000 लोग प्रभावित हुए थे।

(ङ): बिहार राज्य में बाढ़ और कटाव का मुख्य कारण उत्तर बिहार की नदियों जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा में ऊपरी कैचमेंट क्षेत्रों, जो मुख्य रूप से नेपाल में स्थित है, में भारी वर्षा के कारण अधिक डिस्चार्ज के कारण है। इन नदियों के कारण बाढ़ का प्रबंधन एक चिंता का विषय रहा है। संबंधित मुद्दों पर मौजूदा भारत-नेपाल द्विपक्षीय तंत्रों में चर्चा की गई है जिसमें (i) जल संसाधन संबंधी संयुक्त समिति (जेसीडब्ल्यूआर); (ii) संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति (जेएसटीसी); (iii) गंडक और कोसी परियोजनाओं संबंधी संयुक्त समिति (जेसीकेजीपी); और (iv) जलप्लावन और बाढ़ प्रबंधन संबंधी संयुक्त समिति (जेसीआईएफएम)। भारत सरकार दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए इन नदियों पर बांधों के निर्माण के लिए नेपाल सरकार के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रही है जिसमें बाढ़ नियंत्रण का कार्य भी शामिल है।

*****